न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 82 / 2017

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 अनिता देवी आयु 50 वर्ष पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम बाठोद तहसील लक्ष्मणगढ़ हाल निवासी तोदी कालेज रोड़ कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सरोज जोशी पत्नी दिनेश जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 29 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2 रंजीता पत्नी प्रमोद कुमार जाजोदिया।
3 विमल कुमार पुत्र बनवारीलाल जाजोदिया।
4 आनन्द कुमार पुत्र बनवारीलाल जाजोदिया।
5 सरिता देवी पत्नी संदीप कुमार जाजोदिया समस्त जाति महाजन निवासीगण वार्ड नम्बर 6 कस्बा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 पटवारी हल्का कुमास जाटान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर बहैसियत भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार आर.ए.एस
नम्बर मुकदमा राजस्व वाद संख्या 18/2017
बउनवानी अनिता देवी बनाम सरोज देवी आदि
दिनांकित 09.10.2017 जिसके तहत अपीलांट
वादिनी का दावा रेस्पोडेंट प्रतिवादिनी संख्या 1
के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुये
खारिज कर दिया गया

उपस्थित

1. श्री सोहनलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 2-4-19

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 18/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 267/289 रकबा 0.28 हैक्टेयर, ग्राम छिछास तहसील लक्ष्मणगढ़ के सन्दर्भ में दावा उदघोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है कि इस भूमि के सन्दर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आवेदन

संभागीय अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 146/2009 प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें वादीया पक्षकार है इसके द्वारा इस वाद में स्वीकार किया गया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। ऐसी स्थिति में वादीया का वाद कब्जे एवं खातेदारी के अभाव में चलने योग्य नही है। वादीया का वाद विधि द्वारा पोषणीय नही होने से खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत की। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस में तर्क दिया है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय केवल मात्र वाद पत्र के अभिवचनों को देखा जाता है। प्रतिवादीगण के डिफेन्स को नही। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन वाद पत्र के अभिवचनों के आधार पर पारित नहीं किया गया है, बल्कि गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया होना प्रतीक होता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से आवेदन पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में जो भी आधार अंकित किये गये है वे आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों की परिधि में नहीं बाते है, बल्कि ऐसे आधार केवल मात्र जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर बाद सबूत साक्ष्य ही अपीलाधीन वाद का निस्तारण किया जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 की और से बिना कोई जवाब दावा पेश किये बिना ही मात्र वेग अभिकथनों के साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किया गया, जिसे योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कतई विधि विरूद्व तरीके से स्वीकार किया गया है। नये भू-प्रबन्ध के दौरान भूप्रबंध विभाग द्वारा जो नया राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस बनाई गई

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है, वह पुराने राजस्व रिकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुरूप नहीं होकर विपरित रूप से बना दिया गया है। भूप्रबंध कार्यवाही समाप्त हो जाने के पश्चात अपीलांट द्वारा भूप्रबंध विभाग द्वारा बनाये गये गलत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणार्थ एवं सुरक्षार्थ अपीलाधीन वाद विधिवत रूप से योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो किसी भी विधि द्वारा बाधित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर. एल.डब्ल्यू. 2009(1) राजस्थान पेज 432, आर.एल.डब्ल्यू. 2009 (1) राजस्थान पेज 170, आर.एल.डब्ल्यू. 2005(2) राजस्थान पेज 426, डी.एन. जे. 2011(3) राजस्थान पेज 1066 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस में तर्क दिया कि अपीलांट के द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 18/2017 में एवं प्रस्तुत अपील की चरण संख्या 2 में कृषि भूमि के सह खातेदार सज्जन कुमार सैन से दिनांक 04.12.2004 को विभाजन होने और विभाजन की कियान्विति के अनुसरण में अपने हक में नामान्तरण संख्या 321 खुलने का कथन स्वीकार किया गया है उक्त विभाजन विलेख राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार विधिवत विभाजन है विभाजन की प्रति न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है उक्त विभाजन के अवलोकन से जब अपीलांट अनिता देवी एवं सहखातेदार सज्जन कुमार सैन की काश्त भूमियां पृथक–पृथक हो गयी और दोनों के अलग–अलग खसरा नम्बर कायम हो गये और उक्त विभाजन में खसरा नम्बर के दिशा बोध का भी अंकन है जब माननीय न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की स्वीकृत व प्रमाणिक स्थिति है तो इस प्रस्तुत अपील में विचारण योग्य कोई तथ्य ही शेष नही रह जाता है जब अपीलांट के द्वारा

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विभाजन को स्वीकार करने और कृषि भूमियों को अलग–अलग होना मान्य कर लिया गया है तो फिर विवाद की क्या विषय वस्तु है ऐसा अपीलांट के द्वारा न ही तो योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही ऐसा कोई आधार इस अपील के माध्यम से प्रस्तुत किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष ये स्वीकृति है कि विभाजन सन् 2004 मे हो गया और रेस्पोडेंट संख्या 1 सरोज जोशी पत्नी दिनेश जोशी के हक में विक्रय पत्र सज्जन कुमार सैन के द्वारा सन् 2007 में विभाजन में प्राप्त भूमि में से करवाया गया तो जब अपीलांट की भूमि पृथक है और रेस्पोडेंट की भूमियां भी पृथक–पृथक है तो क्या अपीलांट किसी अन्य खातेदार की खातेदारी को निरस्त करवाने का विधिक आधार रखता है उक्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलांट की अपील प्रारंभतया ही विधि विरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 की काश्त भूमि जिसका नवीन खसरा नम्बर 267/289 रकबा 0.28 हैक्टेयर की खातेदारी गलत बताई है लेकिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष और प्रस्तुत अपील में यह कहीं प्रकट नही किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा काश्त कौन से खाते की भूमि में है इस प्रकार अपीलांट की अपील मैलाफाईड है जो चलने योग्य नही है और निरस्त होने योग्य है। कि अपीलांट के द्वारा अपील की चरण संख्या 3 में योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित प्रकरण मुकदमा नम्बर 146/2009 का उल्लेख किया है यह प्रकरण रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा विभाजन हेतु प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रकरण में अपीलांट के द्वारा आवेदन 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर योग्य अधिनस्थ न्यायालय को बतायागया कि अपीलांट अनिता देवी की खातेदारी की भूमियां पृथक खसरा नम्बरान की है और रेस्पोडेंट संख्या 1 की काश्त भूमि से उसका कोई सम्बन्ध जब अपीलांट के द्वारा मुकदमा नम्बर 146/2009 में यह स्वीकार कर लिया गया कि

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर अधिकारी
सं.[illegible]

उसकी काश्त भूमियां रेस्पोडेंट की काश्त भूमियों से पृथक है यह स्वीकृत और प्रमाणिक स्थिति है अपने द्वारा की गयी अभिव्यक्ति से अपीलांट प्रतिबंधित है अब अपीलांट को रेस्पोडेंटगण की काश्त भूमि को अपनी बताने का कोई विधिक अधिकार नही है रेस्पोडेंट संख्या 1 की काश्त भूमि एन.एच. 52 पर है इसलिये भूमि की बाजारू कीमत अधिक होने से अपीलांट के मन में अन्यथा स्थिति उत्पन्न हो गयी है इसलिये अपीलांट के द्वारा तथ्य और स्थिति के विपरित जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया और उक्त वाद बिना वादकारण का होने व विधि द्वारा वर्जित होने से योग्य अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया उक्त सम्पूर्ण तथ्यों के प्रकाश में अपीलांट की अपील निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से अपनी काश्त भूमि का सीमाज्ञान भी करवाया है उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट की काश्त भूमियां पृथक–पृथक है तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट का पृथक–पृथक कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 11 विधि द्वारा वर्जित मानकर खारिज किया गया है यह विधिक प्रश्न है। धारा 11 के सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है इनमें अभिनिर्धारित किया गया है कि आर.आर.डी. 1978 पेज 11" **Civil P.C., Sec., 11- Whether consent decree in previous suit operated as Res judicata - Consent decree is merely a record of agreement between parties to which is affixed seal of court and no decision is given on merits of case - Hence consent decree, not operated as**

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Res judicata. इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 11 के अन्तर्गत रेस जुडीकाटा का सिद्वान्त लागु नही होता है। आर.आर. डी. 2003 पेज 394"**Code of civil Procedure, Section 11- Res Judicata - Application rejected by trial court - Held, application cannot be decided without filing written statement and framing of issues - Preliminary scrutiny can only infer about the subject of dispute - 0rder passed by trial court is justified there is no error.** प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी की और से न तो जवाब दावा प्रस्तुत किया गया और न ही विचारण न्यायालय ने तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त किये है। ऐसी स्थिति में इस न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नही है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. राज. 2017 (1) पेज 1, आर.एल.डब्ल्यू 2013 (1), आर.जे. पेज 81 एवं आर.आर.डी. 1991 पेज 392 में अभिनिर्धारित किया गया है कि " **Civil procedure code, 1908 -0.7,R.11: Sec. 151- Rejection of plaint- Even if the plaint is not strictly covered u/o. 7, R.11, the same can be rejected u/s. 151 c.p.c.- Frivolous and vexatious suit ought to be nipped in the bud at the earliest.**

" **C.P.C.,Order 7 Rule11, Sec. 151. - Continuation of frivolous suit - Remedy - Trial court decreed the suit for declaration and egectment - Respondent filed appeal before RAA on concocted grounds - Allowed on paredox gtounds based on surmises and conjectures - Held - If the suit is abuse of process of the court and cannot be dismiss the suit invoking powers u/s. 151 C.P.C. - Continuation of frivolous suit against any person on the ground**

पदेन ... अधिकारी

that it cannot be dismissed since there is no ptovision u/O. 7R. 11 C.P.C. is virtually denying an aggrieved party his right to crush the frivolous litigation without suffiring the trial of suit - Set aside.

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की और से जवाब दावा प्रस्तुत किये बगैर, तनकी कायम किये बिना, साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचारण न्यायालय द्वारा धारा 11 के अन्तर्गत वादी का वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण का जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम करें, विधिक प्रश्न के सम्बंध में पृथक से तनकी कायम करें, उभयपक्ष के साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई वाद वादी गुणावगुण पर निर्णित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.04.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर